3 अध्याय

स्वायत्त निकायों की प्रशासकीय कार्यप्रणाली

3.1 प्रस्तावना

डी.एस.टी. के अंतर्गत स्वायत्त निकायों में पदों का सृजन, भर्ती, पदोन्नति, अधिवर्षिता, वेतन एवं भत्ते, अन्य हकदारी और किसी अन्य से संबंधित मामले जीएफ़आर, फंडामेंटल रूल्स व सप्लिमेंटरी रूल्स (एफ.आर.एस.आर.), वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमवाली (डी.एफ़.पी.आर.) तथा एम.ओ.एफ़. एवं डी.ओ.पी.टी. के आदेशों से विनियमित होते हैं।

डी.एफ़.पी.आर. के नियम 13(2) के अनुसार, केंद्र सरकार का कोई विभाग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इन नियमों द्वारा आच्छदित किसी भी मामले के संबंध में उसे विभाग में प्रशासक या विभागाध्यक्ष या किसी अन्य अधिनस्थ प्राधिकार के ऊपर निहित शक्तियों से अधिक नहीं, शक्तियां प्रदान करता है बशर्ते कि इस उप नियम के अंतर्गत (ए) पदों के सृजन, (बी) हानियों को बट्टे खाते में डालना; तथा (सी) या तो विनियोग के प्राथमिक इकाइयों या फिर उप शीर्ष हेतु मूल बजट प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, से ज्यादा की राशि का पुनर्विनियोग के संबंध में कोई शक्ति फिर से प्रत्यायोजित नहीं की जाएगी। एम.एस.टी. ने अपने नियंत्रणाधीन स्वायत्त निकायों को इन निर्देशों को दोहराया (जनवरी 1999) था।

चयनित स्वायत्त निकायों द्वारा इन निर्देशों के अनुपालन की हद पर टिप्पणियों की चर्चा इस अध्याय में की गई है।

3.2 नियमावली एवं बाई-लॉज में प्रतिबंधात्मक खंड को शामिल नहीं किया जाना

एम.ओ.एफ़. ने निर्देश जारी किया (अक्टूबर 1984) कि स्वायत्त निकायों, जो पूरी तरह या आंशिक रूप से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किए जाते हैं, के नियमावली एवं बाई-लॉज में पदों के सृजन, अपने कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण और इसी प्रकार के स्थापन व्यय के मामलों में ऐसे संगठनों के जीबी की शक्तियों से संबंधित प्रतिबंधात्मक खंड को निरपवाद रूप से सम्मिलित करना चाहिए और विशिष्ट मामलों में केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी हेतु प्रावधान करना चाहिए। स्वायत्त निकायों के प्रासंगिक बाई-लॉज़/नियमावली/विनियमों में आगे एक खंड सम्मिलित किया जाना था

कि रोजगार ढांचा जो कि वेतनमान, भत्ते का अंगीकरण तथा उसका पुनरीक्षण एवं विनिर्दिष्ट वेतन स्तर से ऊपर के पदों के सृजन से संबंधित प्रस्तावों के लिए एम.ओ.एफ़. के परामर्श से जी.ओ.आई. की पूर्व मंजूरी जरूरी होगी।

एम.एस.टी. ने आगे विस्तार से बताया (जनवरी 1999) कि वैज्ञानिक विभाग ग्रुप बी,सी एवं डी पदों से संबंधित प्रचालन स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं परंतु ग्रुप ए पदों के मामलों में वे डी.ओ.पी.टी./एम.ओ.एफ़. दिशा-निर्देशों के अधीन हैं। उसने आगे, स्पष्ट किया कि स्वायत्त आर एंड डी संस्थानों के जी.बी./जी.सी., पदों के सृजन के मामले को छोड़कर, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा उपभोग की जाने वाली शक्तियों की सीमा तक शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं।

सोसाइटी के रूप में पंजीकृत 17 स्वायत्त निकायों की नियमावली व बाई-लॉज की लेखापरीक्षा जांच से पता चला की 16[2] स्वायत्त निकायों के बाई-लॉज/नियमावली/विनियमों में पदों के सृजन से संबंधित कोई प्रतिबंधात्मक खंड निहित नहीं थे। सिर्फ ए.आर.सी.आई. ने अपने बाई-लॉज में आवश्यक प्रतिबंधात्मक खंडों को शामिल किया था। हमने यह भी देखा की 17 जाँच किए गए स्वायत्त निकायों ने विनियमों/बाइलॉज/नियमावली में रोजगार संरचना से संबंधित आवश्यक संशोधन नहीं किए थे। इस प्रावधान की स्थिति **परिशिष्ट III** में दी गई है। बाइलॉज/नियमावली/विनियमों में प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को शामिल ना करने के परिणामस्वरुप स्वायत्त निकाय में अनियमित पदों का सृजन और स्टाफ की पदोन्नती में छूट पाया गया जैसा कि आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है। डी.एस.टी. द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणी को माना गया (मई 2016)।

3.3 पदों का सृजन

3.3.1 पदों का अनियमित सृजन

2009-14 के दौरान, 11 संस्थानों (आई.ए.सी.एस.[3], बी.आई.[4], ए.आर.सी.आई.[5], आई.आई.ए.[6], एस.एन.बी.एन.सी.एस.[7], एन.ए.एस.आई[8], बी.एस.आई.पी.[9],

---

[2] आई.ए.सी.एस., बी.आई., ए.आर.आई., ए.आर.आई.ई.एस., बी.एस.आई.पी., सी.एन.एस.एम.एस., आई.आई.ए., आई.आई.जी., आई.एन.एस.ए., आई.ए.एस., जे.एन.सी.ए.एस.आर., एन.ए.एस.आई., आर.आर.आई., एस.एन.बी.एन.सी.बी.एस., टी.आई.एफ़.ए.सी. एवं डबल्यू.आई.एच.जी.

[3] इंडियन एसोसिएशन फॉर दी कल्टीवेशन ऑफ़ साइंस, कोलकाता

[4] बोस संस्थान, कोलकाता

[5] इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी, हैदराबाद

[6] इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ एस्ट्रोफिजिक्स, बेंगलुरु

[7] सत्येन्द्रनाथ बोस राष्ट्रीय आधार विज्ञान केंद्र, कोलकाता

[8] राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान-भारत, इलाहबाद

डब्ल्यू.आई.एच.जी.[10], आई.ए.एस.[11], जे.एन.सी.ए.एस.आर.[12] तथा टी.आई.एफ.ए.सी.[13]) के जीबी/जीसी द्वारा एमओएफ़/एमएसटी के निर्देशों का उल्लंघन कर 486 पद सृजित/अपग्रेड किए गए। सृजित 486 पदों का विवरण ***परिशिष्ट IV*** में विस्तार से दिया गया है। ए.बी. के जी.बी./जी.सी. द्वारा डी.एस.टी. और एम.ओ.एफ. के अनुमोदन के बिना पदों का सृजन अनियमित था।

ए.आर.सी.आई. में नियुक्तियों को यह कहते हुए (नवम्बर 2014) न्यायसंगत ठहराया कि गतिविधियां कई गुना बढी और वहां वैज्ञानिक स्टाफ का अकाल था। एस.एन.बी. एन.सी.बी.एस ने कहा (नवम्बर 2014) कि अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मामले पर संबंधित जी.बी. मीटिंग में चर्चा हुई थी और जी.बी. चेयरमेन जो कि सचिव, डी.एस.टी. भी थे, से अनुमोदन लिया था। आई.आई.ए. ने कहा (जनवरी 2015) कि उनके पास विभिन्न श्रेणियों के तहत स्वाकृत पदों का ब्यौरा नही था। एन.ए.एस.आई ने (मार्च 2015) कहा कि पदों का उन्नयन परिषद द्वारा किया गया था।

दिए गए तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि स्वायत्त निकाय अपना खुद का पद सृजित करने के लिए सशक्त नहीं थे। डीएसटी ने (मई 2016) एक्सिट मीटिंग में बताया कि मामलो की पहचान की गई है और इस तरह के मामलों के लिए एक कमेटी गठित की गई है और आश्वासित किया कि संबंधित खंडो को बाइलॉज में शामिल किया जाएगा और जहॉ आवश्यकता होगी एम.ओ.एफ. का अनुमोदन लिया जाएगा।

3.4 भर्तियां

3.4.1 डी.ओ.पी.टी. के आदेशों से उपनियमों/नियमावली/विनियमों में व्यतिक्रम

डी.ओ.पी.टी. ने (2006) निर्देश जारी किए कि निदेशक या उससे उपर के स्तर पर नियुक्ति हेतु स्वायत्त निकायों (अलग से संसद के अधिनियम द्वारा अन्यथा गठित नहीं) को अनिवार्य रूप से खोज-सह-चयन समिति का गठन करना था, जिसकी संरचना को प्रत्येक मामले में डीओपीटी द्वारा मंजूर किया जाना आवश्यक था। स्वायत्त संस्थानों द्वारा चयन हेतु कसौटी व मानदंडों को अंतिम रूप संबंधित मंत्रालय की

---

9 बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, लखनऊ

10 वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान, देहरादून

11 भारतीय विज्ञान अकादमी, बेंगलुरु

12 जवाहरलाल नेहरु उच्च वैज्ञानिक अनुसन्धान केंद्र, बेंगलुरु

13 प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद्, नई दिल्ली

सहमति से दिया जा सकता था। निर्देशों में आगे कहा गया था कि मुख्य कार्यकारी के पद पर सभी नियुक्तियों तथा ₹ 18,400-22,400 के वेतनमान वाले सभी नियुक्तियों के लिए, एसीसी की मंजूरी आवश्यक थी।

तदनुसार, सभी स्वायत्त संस्थानों को सोसाइटी के रजिस्ट्रार की मंजूरी से अपने ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियम, बाईलॉज इत्यादि में संशोधन करना आवश्यक था और इस संबंध में डी.ओ.पी.टी. द्वारा निर्धारित निर्देशों को सम्मिलित करना आवश्यक था।

हमने पाया कि -

i. तीन स्वायत्त निकायों (ए.आर.आई.ई.एस[14]., बी.एस.आई.पी., सी.एन.एस.एम.एस.[15]) ने अपने बाई-लॉज में खोज-सह-चयन समिति के संघटन से संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित नहीं किया।

ii. तीन स्वायत्त निकायों (आई.ए.सी.एस., आई.आई.ए., ए.आर.सी.आई.) में, उपनियमों में खोज-सह-चयन समिति का संघटन और भूमिका या ए.सी.सी. के प्राधिकार का विशेष उल्लेख नहीं था। भर्ती नियमावली एवं प्रक्रियाओं से संबंधित भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन करने का इस आशय का सामान्य प्रतिबंध था।

iii. 11 स्वायत्त निकाय (जे.एन.सी.ए.एस.आर., एस.एन.बी.एन.सी.बी.एस., बी.आई., आर.आर.आई.[16], एन.ए.एस.आई., आई.ए.एस., आई.एन.एस.ए.[17], टी.आई.एफ़.ए.सी., डबल्यू.आई.एच.जी., आई.आई.जी.[18] एवं ए.आर.आई.) ने खोज सह चयन समिति के सृजन तथा संघटन की पद्धति से संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित नहीं किया था।

उपनियमों/नियमों/विनियमों में व्यतिक्रम का विवरण ***परिशिष्ट V*** में दिया गया है।

---

[14] आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूच ऑफ आबसर्वेश्नल साईंसेस, नैनीताल

[15] सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइन्स, बंगलुरू

[16] रमण अनुसंधान संस्थान, बंगलुरू

[17] भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अदाकामी, नई दिल्ली

[18] भारतीय भू-चुम्बकत्व संस्थान, मुंबई

इस प्रकार, 17 स्वायत्त निकायों में से किसी ने भी डी.ओ.पी.टी. के निर्देशों का पूरी तरह अनुपालन नहीं किया। इससे इन पदों पर अनियमित नियुक्तियां हुई जैसा कि आगे के पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

डी.एस.टी. मई 2016 ने मामले को देखने की सहमति देते हुए कहा कि प्रावधानों का सूत्रीकरण ऐसा होना चाहिए जिससे उपनियमों/नियमावली/विनियमों में बार-बार बदलाव नही करना पड़े।

उत्तर डी.ओ.पी.टी. के (जुलाई 2007) निर्देश के संदर्भ में देखा जाता है, जिसके अनुसार सभी स्वायत्त संस्थानों को उनके एम.ओ.ए. ओर बाई लॉज में डी.ओ.पी.टी. के निर्देशों को पूरी तरह से शामिल करने की आवश्यकता है।

3.4.1.1 मुख्य कार्यकारी की अनियमित नियुक्ति

जनवरी 2009 से आगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे (ए.आर.आ.ई.), में नियमित निदेशक नहीं था। रिक्त पद को एम.एस.टी./डी.ओ.पी.टी. की मंजूरी से जनवरी 2009 के प्रभाव से 31 दिसंबर 2009 तक शुरुवात में एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानापन्न निदेशक की नियुक्ति कर भरा गया (अगस्त 2009) था और बाद में 30 जून 2010 तक बढा दिया गया। इसके बाद, ए.आर.आई. ने स्थानापन्न निदेशक के रुप में दो व्यक्तियों को क्रमशः 1 जुलाई 2010 से 30 अप्रैल 2013 तक तथा 1 मई 2013 से 31 जनवरी 2015 तक संस्थान के जी.सी. की मंजूरी से शुरुवात में तीन महीने के लिए नियुक्त किया था।

हमने पाया कि स्थानापन्न निदेशक की नियुक्ति के लिए न तो खोज-सह-चयन समिति गठित की गई थी और न तो एसीसी की मंजूरी प्राप्त की गई थी, जो अनियमित था क्योंकि निदेशक का पद मुख्य कार्यकारी के पद के समकक्ष है। इसके अलावा, ए.सी.सी. की मंजूरी के बिना जी.सी. द्वारा छह माह से अधिक का विस्तार देना भी अनियमित था।

ए.आर.आ.ई. ने कहा (2015 जनवरी)कि उसके उपनियम के अनुसार, निदेशक पद के लिए नियुक्ति प्राधिकार जी.सी. का था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बाईलॉज का प्रावधान सरकारी निर्देशों का उल्लंघन था।

3.4.1.2 चयन समिति का अनियमित गठन

इंटरनेशनल एडवांस्ड सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटिरियल्स, हैदराबाद (ए.आर.सी.आई.) ने (ए.आर.सी.आई.) ₹ 18,400-22,400 के स्केल में दो वरिष्ठ वैज्ञानिकों की नियुक्ति क्रमशः फरवरी 2006 एवं अक्टूबर 2010 में किया। हमने पाया

कि दोनों मामलो में परिषद/निदेशक द्वारा भर्ती समिति का गठन इसकी संरचन हेतु डी.ओ.पी.टी. की मंजूरी प्राप्त किए बगैर किया गया था, जो अनियमित था। ए.आर.सी.आई. ने भर्ती से लेकर मार्च 2015 तक की अवधि के लिए अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते पर ₹ 73 लाख का व्यय किया।

ए.आर.सी.आई. ने कहा (फरवरी 2015) कि अधिकारियों की भर्ती संस्थान के नियमावली/विनियमों के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ए.आर.सी.आई. की नियमावली व विनियम डी.ओ.पी.टी. के निर्देशों के उल्लंघन में थें।

3.4.1.3 वेतनमान का अनियमित उन्नयन

इंडियन नैशनल साईंस अकादमी, नई दिल्ली (आईएनएसए) ने ₹ 5,100-6,300 के वेतनमान (पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशें लागू होने के बाद क्रमशः 1996 से ₹ 16,400-20,000 में पुनरीक्षित) में कार्यकारी सचिव (ई.एस.) के पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति (मई 1991) की। संसाधन प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) की अनुशंसाओं के आधार पर ई.एस. के वेतनमान को ₹ 18,400-22,400 में उन्नयन करने हेतु प्रस्तावित किया (अगस्त 1998) गया जिसे डी.एस.टी. द्वारा दिसंबर 2000 में पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई।

पद का उन्नयन पद के सृजन के समान है और ग्रुप ए पद का सृजन सिर्फ एम.ओ.एफ़. के अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा, ₹ 18,400-22,400 के वेतनमान वाले पद की नियुक्ति सिर्फ ए.सी.सी. की मंजूरी से ही की जा सकती थी। अधिकारी का कार्यकाल (जुलाई 2006 से जून 2008) दो साल के लिए और बढा दिया गया। हालांकि, ए.आर.सी.आई. ने पद को अपग्रेड करने हेतु एम.ओ.एफ़. और ए.सी.सी. की मंजूरी प्राप्त नहीं की, जो अनियमित था।

इस प्रकार ₹ 18,400-22,400 के वेतनमान में कार्यकारी सचिव के पद का उन्नयन डी.ओ.पी.टी. के निर्देशों का उल्लंघन था।.

3.4.2 भर्ती नियमावली तैयार करने एवं लागू करने में कमियाँ

डी.ओ.पी.टी. के निदेशानुसार (दिसम्बर 2010), ज्योंहि किसी नए पद/सेवा का सृजन करने या किसी पद को अपग्रेड करने अथवा किसी सेवा का पुनर्निर्माण करने का निर्णय लिया जाता है, त्योंहि प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा भर्ती नियमावली/सेवा नियमावली तैयार करने हेतु तत्काल कदम उठाये जाने चाहिए। उन सभी पदों, जिनके

एक वर्ष या उससे अधिक तक कायम रहने की संभावना है, के लिए भर्ती नियमावली तैयार की जानी चाहिए।

हमने पाया कि

i. बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता (बीआई) ने अक्टूबर 1980 में डी.एस.टी. की मंजूरी प्राप्त किए बगैर अपनी भर्ती नियमावली प्रस्तुत की, जिसमें संस्थान के सभी वर्गों के कर्मचारियों के भर्ती की पद्धति तैयार की गई थी। फिर भी, संस्थान द्वारा भर्ती नियमावली हेतु डीएसटी की मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी।

ii. इसी प्रकार, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बैंगलुरु (आई.आई.ए.) ने 'भर्ती हेतु नियम एवं दिशा निर्देश' तैयार किया (अक्टूबर 2000) जिन्हें जी.सी. द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी, फिर भी, डी.एस.टी. तथा एम.ओ.एफ़. का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

iii. इंडियन एसोसीएशन फॉर दी कलटीवेशन ऑफ साईंस, कोलकाता (आई.ए.सी.एस.) 1876 में स्थापित किया गया था। 21 दिसम्बर, 2005 तक, आई.ए.एस.एफ़. के पास इसके ग्रुप ए, बी, सी तथा डी पदों के संबंध में कोई भर्ती नियमावली नहीं थी। आईएसीएफ़ के जीसी ने इसके द्वारा बनाए गए संरचनात्मक सुधार समिति के प्रतिवेदन को स्वीकृति (दिसम्बर 2005) प्रदान की, जिसमें आई.ए.सी.एस. के अकादमिक, प्रशासनिक तथा तकनीकि कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना एवं करियर एडवांसमेंट स्कीम की सिफ़ारिश की गई थी। समिति की सिफ़ारिशें डी.एस.टी. को अनुमोदन हेतु भेजी गई थी। डी.एस.टी. ने आई.ए.सी.एस. को सूचित किया (जून 2006) कि निदेशक एवं वर्ग 'ए' प्रशासनिक कर्मचारी[19] के पदों के लिए वेतन संरचना एम.ओ.एफ़. द्वारा मंजूर की जानी थी। तथापि, डी.एस.टी. ने आई.ए.एस.सी. के जी.सी. द्वारा भर्ती नियमावली को अंतिम रूप दिये जाने के विषयाधीन अन्य कर्मचारियों के वेतनमानों के लिए सिफ़ारिशों को मंजूरी प्रदान की। इसके बाद, आई.ए.सी.एस. की भर्ती नियमावली को स्पेशल जेनरल बॉडी की बैठक में अंतिम रूप दिया गया तथा स्वीकृति प्रदान की गई।

[19] सहायक कुलसचिव के लिए ₹ 8,000-13,500; वरिष्ठ सहायक कुलसचिव के लिए ₹ 10,500-15,200; उप कुलसचिव के लिए ₹ 12,000-16,500 वरिष्ठ उप-कुलसचिव के लिए ₹ 14,000-18,300 तथा कुलसचिव के लिए ₹ 16,400-20,000.

हमने पाया कि आई.ए.सी.एस. के भर्ती नियमावली को स्पेशल जेनरल बॉडी की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई थी और जी.सी. द्वारा नहीं जैसा कि डी.एस.टी. द्वारा निदेश दिया गया था। उक्त स्पेशल जेनरल बॉडी की बैठक में, जी.सी. के कुल बारह सदस्यों के संघटन में से आई.ए.सी.एस. से केवल चार आंतरिक सदस्य ही उपस्थित थे और सभी वाह्य आठ सदस्य अनुपस्थित थें। अतः भर्ती नियमावली की मंजूरी अनियमित थी।

हमने आगे यह भी पाया कि यद्यपि डी.एस.टी. ने बताया कि ग्रुप 'ए' प्रशासनिक पदों के वेतनमानो (स्केलों) के कार्यान्वयन हेतु एम.ओ.एफ़. की मंजूरी जरूरी थी जैसा कि संरचनात्मक सुधार समिति द्वारा सिफ़ारिश की गई थी तथापि आई.ए.सी.एस. ने इन स्केलों को कार्यान्वित किया और उसे इसके भर्ती नियमावली में सम्मिलित कर दिया, बिना एम.ओ.एफ. की मंजूरी के जो कि अनियमित था।

आई.ए.सी.एस. ने कहा (जनवरी 2015) कि भर्ती नियमावली उनके उपनियम का एक हिस्सा था जिसे दिसम्बर 2006 में जी.सी. द्वारा स्वीकृति प्रदान कि गई थी। फिर भी; हमने पाया कि भर्ती नियमावली को जी.सी. द्वारा अंतिम स्वीकृति नहीं दी गई थी। वस्तुत:, जी.सी. के उक्त बैठक के कार्यवृत में भर्ती नियमावली अथवा उपनियम की चर्चा का कोई अभिलेख नहीं है।

3.4.3 भर्ती नियमावली में व्यतिक्रम

जी.एफ़.आर. का नियम 209 (6)(iv)(a) कहता है कि सभी अनुदेयी संस्थान अथवा संगठन जो अपने आवर्ती व्यय का पचास प्रतिशत से ज्यादा सहायता अनुदान पाते हैं उन्हे आमतौर पर अपने कर्मचारियों की सेवाओं के शर्तें और निबंधन प्रतिपादित करने चाहिए जो समान्यत: केंद्र सरकार के समान वर्ग के कर्मचारियों पर लागू सेवाओं की शर्तें एवं निबंधन से ज्यादा नहीं हो। अपवाद स्वरूप मामलों में एमओएफ़ के साथ विचार-विमर्श के बाद छूट दी जा सकती थी।

चयनित स्वायत्त निकायों के अभिलेखों की जांच में पता चला कि भर्ती नियमावली एक स्वायत्त निकाय यानि आर.आर.आई. द्वारा नहीं तैयार किये गये थें। इसके अलावा, 13 स्वायत्त निकायों (सी.एन.एस.एम.एस., डब्ल्यू.आई.एच.जी., जे.एन.सी.ए.एस.आर., ए.आर.आई.ई.एस., आई.ए.सी.एस., एस.एन.,बी.एन.सी.बी.एस., बी.आई., एन.ए. एस.आई., बी.एस.आई.पी., आई.आई.ए., ए.आर.सी.आई., आई.ए.एस. तथा आई.आई.जी) द्वारा डी.ओ.पी.टी. के निर्देशों के साथ-साथ एफ़एफ़आर के प्रावधानों के अनुरूप बनाए गए भर्ती नियमावली में व्यतिक्रम था, जिसने इन स्वायत्त निकायों

में नियुक्त किए व्यक्तियों को उच्चतर लाभ प्रदान किया। भर्ती नियमावली में किए गए व्यतिक्रम का विवरण ***परिशिष्ट VI*** में दिया गया है।

हमने पाया कि सरकार द्वारा स्वीकृत भर्ती नियमावली से व्यतिक्रम के लिए उपर्युक्त मामलों में से किसी के संबंध में एम.ओ.एफ़. की नही ली गई थी।

डी.एस.टी. ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया एवं कहा (मई 2016) कि स्वायत्त निकायों के बाई-लॉज में एक बार संशोधन हो जाने पर, भर्ती नियमावली को तदनुसार नियमित किया जाएगा।

अनियमित नियुक्तियों तथा उच्चतर लाभों के अनुदान के विशिष्ट मामलों की लेखापरीक्षा में जांच की गई तथा निम्नलिखित पैराओं में उसकी चर्चा की गई।

3.4.4 भर्ती प्रक्रिया में कमियाँ

(ए) डी.ओ.पी.टी. के निर्देशों (दिसम्बर 2010) के अनुसार, भर्ती नियमावली को प्रत्येक पदों के लिए चयन मानदंड, शैक्षिक योग्यता की आवश्यकताएँ, अनुभव तथा आरक्षण तालिका, आयु-सीमा, चयन समिति का संघटन, चयन-पद्धति, भर्ती के विविध चरणों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों का विवरण, इत्यादि अनुबंधित करना था।

हमलोगों ने पाया कि आई.ए.एस. बैंगलुरू सभी पदों के लिए भर्ती को डीओपीटी द्वारा निर्धारित नियमों को अपनाए बगैर संचालित कर रहा था। यद्यपि आईएएस ने 2013 में 'भारतीय विज्ञान अकादमी के प्रशासन तथा प्रबंधन के लिए नियमों' में संशोधन किया, तथापि डीओपीटी के निर्देशों में यथा परिकल्पित नियम एवं चयन मानदंड शामिल नहीं किए गए थें। निर्धारित मानदंड के अभाव को ध्यान में रखते हुए, भर्ती की प्रक्रिया में कमियां पाई गई जिसका विवरण ***परिशिष्ट VII*** में दिया गया है। कार्मिकों की भर्ती में कुछ प्रमुख अनवरत कमियां नीचे दी गयी हैं:

आवेदनों की जाँच:

i. आईएएस ने किसी भी पद के लिए प्राप्त आवेदनों की जाँच के लिए कोई समिति गठित नहीं की थी। यहाँ तक की उस कागज, जिसमें संक्षिप्त सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के नाम उल्लिखित थें पर उस अधिकारी, जिसने आवेदनों की जाँच की थी; का हस्ताक्षर भी मौजूद नहीं था।
ii. आवेदनों की जाँच करते समय अपात्र अभ्यर्थियों को भी साक्षात्कार के लिए संक्षिप्त सूचीबद्ध एवं अंतत: चयनित कर लिया गया था।

iii. हमने आगे पाया कि जाँच प्रक्रिया में कोई एकरूपता नहीं थी। अधिकांश मामलों में प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा ऐसे आवेदनों का विवरण यथा अभ्यर्थी का नाम, आवेदन प्राप्ति की तिथि, इत्यादि से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं थी।

iv. संक्षिप्त सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी भी प्राप्त नहीं की गई थी।

v. इसके अलावा, एक मामले को छोड़कर आवेदनों की जाँच के लिए अपनाए गए मानदंड तथा उस आधार जिस पर व्यक्तिगत मामलों में आवेदनों को अस्वीकार किया गया था, का उल्लिखित नहीं किया गया था।

इस तरह, जाँच पारदर्शी तरीके से नहीं की गई थी। अनुवर्ती पैराग्राफों में इन मामलों की चर्चा की गई है।

चयन प्रक्रिया:

i. अकादमी की चयन समिति द्वारा चयन के लिए अनुसरण किए जाने वाले मानदंडों को परिभाषित किया जाना था फिर भी, समिति ने अभ्यर्थियों के चयन के लिए अपनाए जाने वाले मानदंडों का उल्लेख नहीं किया था। अतः उस आधार को पत्रबद्ध एवं सत्यापित नहीं कर सके जिस पर समिति ने अभ्यर्थियों का चयन अथवा उसे खारिज किया था।

ii. अकादमी ने उन अभ्यर्थियों, जो साक्षात्कार में उपस्थित थें; के लिए कोई उपस्थिति शीट संघारित नहीं किया गया था। चयन समिति के कार्यवृत के अनुसार, संक्षिप्त सूचीबद्ध अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हुए थें। उपस्थिति शीट के संघारन के अभाव में हम यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि अभ्यर्थी वास्तव में साक्षात्कार में उपस्थित हुए थें या नहीं।

योग्यता:

हमने पाया कि निम्न पदों के कुछ मामलों में उच्च पदों के लिए निर्धारित योग्यताओं से ज्यादा उच्च योग्यता निर्धारित की गई थी। अकादमी के ईएस पद के लिए निर्धारित योग्यता स्नातक थी; (2008) जबकि कार्यकारी संपादक जो निम्न स्तर का पद था, के लिए निर्धारित योग्यता स्नातकोत्तर थी। उसी प्रकार, लेखा सहायक (2013-14 में) के पद के लिए निर्धारित अनिवार्य योग्यता स्नातक/स्नाकोत्तर सहित पाँच वर्षों का अनुभव था, जबकि 2010-11 में लेखा अधिकारी के पद के लिए निर्धारित योग्यता केवल स्नातक थी।

(बी) आईआईए में 11 अस्थायी कर्मचारियों तथा नियमित कर्मचारियों की सोलह भर्ती संचिकाओं की लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि संस्थान द्वारा इसके नियमित कर्मचारियों की भर्ती के लिए अनुसरण की गई भर्ती प्रक्रिया में केंद्र सरकार में भर्तियों के लिए निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

i. डी.ओ.पी.टी. के निर्देशों का उल्लंघन कर भर्तियां खुले विज्ञापन के बिना की गई थी।

ii. अभ्यर्थी का चयन अनिवार्य आवश्यक अनुभव के बगैर किया गया था।

iii. निदेशक की नियुक्ति खोज-सह-चयन समिति के गठन के बिना की गई थी।

iv. कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति के लिए एसीसी की मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी।

पाई गई अनियमितताओं का विवरण ***परिशिष्ट VIII*** में दिया गया है।

3.4.5 भर्ती नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई भर्तियां

(ए) बीआई की भर्ती नियमावली के अनुसार उप-कुलसचिव के पद के लिए विज्ञापन जारी कर सीधी भर्ती की जानी थी लेखापरीक्षा में देखा गया कि बीआई ने सितम्बर 2006 में कोई विज्ञापन जारी किए बिना उस पद के लिए एक उप कुल सचिव की भर्ती की, जो कि अनियमित था। बीआई ने जुलाई 2015 में कहा कि उक्त पद के लिए विज्ञापन समय और धन बचाने के लिए प्रकाशित नहीं किया गया था जो अस्वीकार्य था क्योकि यह उनकी भर्ती नियमावली के अनुरुप नही था।

(बी) आई.ए.सी.एस. ने वर्ष 2009-14 के दौरान 17 सहायक प्राध्यापकों, चार तकनीकी सहायकों तथा तीन प्रशासनिक कर्मचारियों की भर्ती की। हमने 10 मामलों (छह सहायक प्रोफेसर, दो तकनीकी कर्मचारियों तथा दो प्रशासनिक कर्मचारियों) की जाँच की तथा पाया कि भर्ती किए गए छह में से पाँच सहायक प्रोफेसर को दो वेतनवृद्धि के समकक्ष एक निर्धारित भत्ते की अनुमति दी गई थी, जिसकी आईएसीएस की भर्ती नियमावली में परिकल्पना नहीं की गई थी। इसका परिणाम प्रत्येक सहायक प्रोफेसर के लिए ₹ 1,780 का अतिरिक्त आवर्ती मासिक व्यय था। आईएसीएस ने बताया (जनवरी 2015) कि चयन समिति ने सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए शुरुआती भर्ती के दौरान दो अतिरिक्त वेतनवृद्धि की सिफ़ारिश की, जिसे जीसी द्वारा मंजूर कर लिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस तरह की वित्तीय सुविधा

जीसी के प्राधिकार के अधीन नहीं था एवं उसे एम.ओ.एफ़. द्वारा मंजूर किया जाना आवश्यक था।

3.4.6 भर्तियों से संबंधित प्रावधानों का अनियमित अंगीकरण

श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम (एससीटीआईएमएसटी) 31 मार्च 2006 यूजीसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों से भारत में राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय तथा संस्थान समझे जाने वाले विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों की सूची में शामिल था। इस प्रकार, एससीटीआईएमएसटी को समय-समय पर यूजीसी द्वारा अधिसूचित वेतन संरचनाओं का अनुपालन करना था।

छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन का अनुसरण करते हुए एमएचएफ़डबल्यू के अधीन चिकित्सा शिक्षा स्वायत्त संस्थानों के शिक्षकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण से अवगत कराते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमएचएफ़डबल्यू) ने निर्देश (जनवरी 2010) जारी किया। एससीटीआईएमएसटी के जीबी ने, उसी महीने में, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस), एमएचएफ़डबल्यू के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त निकाय, के बराबर इसके अपने शिक्षकों के लिए संशोधित वेतन संरचना को मंजूरी प्रदान की। इसके पूर्व, एससीटीआईएमएसटी ने अपने जी.बी. द्वारा यथा अनुमोदित केंद्र सरकार की वेतन संरचना को अंगीकार किया था। जी.बी. के द्वारा अकादमिक कर्मचारियों के लिए बनाए गए वेतन संरचना यूजीसी वेतन संरचना के अनुरूप नहीं था, जैसा कि तालिका 2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2: ए.आई.आई.एम.एस. वेतन संरचना तथा केंद्र सरकार (एम.एस.टी.) द्वारा मंजूर वेतन संरचना के बीच तुलना

पदनाम	वेतन मान	2010 के पहले जी.बी. द्वारा मंजूर वेतन संरचना	एससीटीआईएमएसटी द्वारा स्वीकृति वेतन संरचना
		एमएसटी द्वारा मंजूर वेतन संरचना के अनुसार ग्रेड पे	निकास किया गया अकादमिक ग्रेड पे
वैज्ञानिक डी/ इंजीनियर डी	15,600-39,100	7,600	8,000
वैज्ञानिक ई/ इंजीनियर ई	37,400-67,000	8,700	9,000
वैज्ञानिक एफ़/ इंजीनियर एफ़	37,400-67,000	8,900	9,500
वैज्ञानिक जी/ इंजीनियर जी	37,400-67,000	10,000	10,500
सहायक प्रोफ़ेसर	15,600-39,100	6,600	8,000
एसोसिएट प्रोफ़ेसर	37,400-67,000	8,700	9,000
एडिशनल प्रोफ़ेसर	37,400-67,000	8,900	9,500
प्रोफ़ेसर	37,400-67,000	10,000	10,500

एससीटीआईएमएसटी द्वारा अनियमित वेतन संरचना के अंगीकरण के परिणामस्वरूप जीपी तथा बेसिक में अतिरिक्त व्यय हुआ।

22 चिकित्सा कर्मचारियों/वैज्ञानिकों की 2009-14 की अवधि के दौरान सहायक प्रोफ़ेसर, एडिशनल/एसोसिएट प्रोफ़ेसर/प्रोफ़ेसर/वैज्ञानिक-डी के रूप में सीधी भरती के आधार पर नियुक्ति दी गयी थी, जिनका प्रारंभिक वेतन उच्चतर जीपी तथा बढे हुए वेतन पर निर्धारित किया गया था. परिणामस्वरूप, मार्च 2014 तक ₹ 2.67 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ था।

डी.एस.टी. ने (मई 2016) में मामले को देखने की सहमति दी।

3.4.7 प्रारंभिक भर्ती पर अग्रिम वेतन वृद्धि

(ए) एफ.आर.-27 के प्रावधानों के अनुसार कोई प्राधिकारी वेतन के समय-मान पर असामयिक वेतन वृदधि दे सकता है यदि उसे वेतन के समान स्तर पर उसी संवर्ग में पद सृजन करने की शक्ति है। स्वायत्त निकायों को शक्तियां प्रतिनिधित्व करने पर

डी.एस.टी. निर्देशों (जनवरी 1999) ने विनिर्दिष्टि किया कि स्वायत्त निकायों के प्रमुखों को पद सृजित करने की शक्ति नहीं है, अतः स्वायत्त निकायों को असामयिक वेतन वृदधि देने की शक्ति नहीं है।

हमने देखा कि तीन स्वायत्त निकायों अर्थात आई.ए.एस., बी.आई. और बी.एस.आई.पी. के सात कर्मचारियों को डी.एस.टी. तथा एम.ओ.एफ. की मंजूरी के बिना सेवा पर आने के समय एक से 16 अग्रिम वृदधि दी गयी थी, यह अनियमित था क्योंकि किसी भी स्वायत्त निकाय के पास पद सृजित करने और इस प्रकार अग्रिम वेतन वृद्धि देने की शक्ति नहीं थी।

(बी) जे.एन.सी.ए.एस.आर. को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) ने मान्य विश्वविद्यालय घोषित किया (अगस्त 2002) इस शर्त के साथ कि केंद्र यू.जी.सी. द्वारा जारी मान्य विश्वविद्यालय को लागू दिशानिर्देशों/निर्देशों का पालन करेगा। एम.एच.आर.डी. के निर्देशों (दिसंबर 2008) के अनुसार, यू.जी.सी. के अंतर्गत विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में प्राध्यापक और समकक्ष पदों के भिन्न श्रेणियों के वेतन संरचना तीन श्रेणियों में होगी अर्थात सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर और प्रोफेसर। इस प्रकार, सहायक प्रोफेसर हेतु ₹ 15,600-39, 100 वेतन बैंड में ₹ 6,000 अकादमिक ग्रेड वेतन (ए.जी.पी.) के साथ, सह प्रोफेसर हेतु ₹ 37,400-67,000 वेतन बैंड में ₹ 9,000 ए.जी.पी. के साथ और प्रोफेसर हेतु ₹ 37,400-67,000 वेतन बैंड में ₹ 10,000 ए.जी.पी. तथा ₹ 43,000 न्यूनतम वेतन के साथ सीधी भर्ती की जा सकती थी, आगे, पी.एच.डी. डिग्री धारक सहायक प्रोफेसर को भर्ती की शुरुआत में पाँच अ-मिश्रित अग्रिम वेतन वृदधि स्वीकार्य थे। डी.एस.टी. ने केंद्र को यू.जी.सी. विनियम 2010 पालन करने का निर्देश दिया (अगस्त 2014)।

जे.एन.सी.ए.एस.आर. ने जून 2009 और जुलाई 2013 में सात कार्मिक भर्ती किये जिनमें से हमने उन पाँच मामलों की जांच की जिनके पास प्रारंभिक नियुक्ति के समय पी.एच.डी. डिग्री थी। हमने देखा कि हालाँकि ये कार्मिक केवल पाँच अग्रिम वेतन वृदधि के हकदार थे, इन्हे जे.एन.सी.ए.एस.आर. द्वारा आठ अग्रिम वेतन वृद्धि दी गयी थी जो कि यू.जी.सी. दिशा निर्देशों का उल्लंघन था। परिणामस्वरुप, प्रारंभिक अवस्था में वेतन के अधि निर्धारण के कारण, जे.एन.सी.ए.एस.आर. ने मार्च 2015 तक ₹ 61 लाख का अतिरिक्त व्यय किया।

3.5 कर्मचारियों की पदोन्नति

3.5.1 अकादमिक संवर्ग में पदोन्नति नीति का अनियमित अंगीकरण

डी.एस.टी. यूजीसी के पैकेजों को भत्ते तथा स्वायत्त निकायों के अकादमिक कर्मचारियों को सेवा की अन्य सभी शर्तों तथा निबंधनों को बढ़ाने के लिए जीओआई की मंजूरी से अवगत कराया (फरवरी 1989) और यह भी निर्देश दिया कि यूजीसी पेकैजों द्वारा आच्छादित अपने स्वायत्त निकायों को वैज्ञानिक कर्मचारियों पर लागू फ्लेक्सिबल कॉम्पलीमेंटिंग स्कीम[20] (एफ़सीएस) का अनुसरण नहीं करना चाहिए। हमलोगों ने दो स्वायत्त निकायों में इन निर्देशों का व्यतिक्रम पाया जिसका विवरण निम्नलिखित है:

i. इंडियन एसोसिएशन फॉर द कलटिवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता ने एक विशेष आम सभा (दिसम्बर 1989) का आयोजन किया और संकल्प द्वारा डी.एस.टी. के उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपने अकादमिक कर्मचारियों के लिए एक अलग पदोन्नति संबंधी नियम को अंगीकार किया। बाद में, आईएसीएस के जीसी ने अपने अकादमिक तथा गैर-अकादमिक कर्मचारियों के लिए वेतनमान, पदोन्नति के अवसरों तथा अन्य शोध लाभों को शुरू करने के लिए डी.एस.टी. की मंजूरी के साथ एक संरचनात्मक सुधार समिति (एस.आर.सी.) का गठन (अक्टूबर 2004) किया। डी.एस.टी. ने अप्रैल 2006 में एस.आर.सी. की सिफ़ारिश पर सहमति जताई तथा मंजूरी प्रदान की।

   लेखापरीक्षा जाँच में यूजीसी संरचनाओं के साथ तुलना में वेतनमानों, आईएसीएस के अकादमिक कर्मचारियों को दिए गए पदोन्नति के अवसरों की में विसंगतियां पाई गई। यह देखा गया कि आईएसीएस के अकादमिक कर्मचारी ने यूजीसी के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों से ज्यादा वेतनमानों/कम से कम रेजीडेंसी अवधि का उपभोग किया था। रेजीडेंसी अवधि में व्यतिक्रम का विवरण ***परिशिष्ट IX*** में दिया गया है।

[20] डी.एस.टी. ने मई 1986 में फ्लेक्सिबल कॉम्पलीमेंटिंग स्कीम शुरू किया। बाद में डी.एस.टी. ने 1998 के बाद से डी.एस.टी. के आदेश (1986) के अधिक्रमण में निर्देश जारी किए जिसमें एक ग्रेड से दूसरे में वैज्ञानिक कर्मचारी की पदोन्नत्ति से संबंधित करियर उन्नति हेतु न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि का उल्लेख था।

डीओपीटी/एमओएफ़ के मंजूरी के बिना वर्ग 'ए' पद के संबंध में उच्चतर संरचना का सृजन एमओएफ़ 1994[21] साथ ही साथ 1999[22] के जारी एमएसटी के निर्देशों के अनुपालन के विरूद्ध था। इसके अलावा, डीएसटी ने एसआरसी के सिफ़ारिशों को मंजूरी प्रदान की, जो डीओपीटी/एमओएफ़ के साथ विचार-विमर्श किए बिना, उक्त निर्देशों के अनुरूप नहीं थें।

ii. जवाहरलाल नेहरु सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बैंगलुरु (जेएनसीएएसआर) को एमएचआरडी द्वारा इस शर्त, कि केंद्र यूजीसी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों जैसा कि डीम्ड विश्वविद्यालय पर लागू हो, का पालन करेगा, के अधीन डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित (अगस्त 2002) किया गया। हमने पाया कि जेएनसीएएसआर ने 2002 से भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलुरू (एमएचआरडी के अधीन एक स्वायत्त निकाय) में वेतन संरचना के अनुसार उच्च वेतनमानों का अंगीकार किया, जो यूजीसी वेतन पैकेजों के अनुरूप नहीं थें। वेतनमानों के लिए डीएसटी तथा डीओपीटी/एमओएफ़ के मंजूरी प्राप्त नहीं की गई

वर्ष 2009-14 के दौरान, 19 अकादमिक कर्मचारियों की पदोन्नति की गई थी तथा यादृच्छिक तरीके से चयनित 9 मामलों में पाया कि उच्च वेतनमानों को अपनाने के कारण, जेएनसीएएसआर ने वेतन तथा भत्तों की और ₹ 3.15 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

जेएनसीएएसआर ने कहा (दिसम्बर 2014) कि यह अभी तक समुचित प्राधिकारी द्वारा मंजूर किए जाने वाले पदोन्नति संबंधी नीति के दिशा-निर्देशों के तैयार किए जाने की प्रक्रिया में जारी था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीम्ड विश्वविद्यालय पर लागू यूजीसी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के लिए एमएचआरडी/डीएसटी के निर्देश पहले से ही मौजूद थें।

3.5.2 अकादमिक कर्मचारियों की अनियमित पदोन्नति

रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैंगलुरु (आरआरआई) ने केंद्र सरकार वेतनमानों को इसके वैज्ञानिक कर्मचारियों के लिए अपनाया था। सात वैज्ञानिक कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका की जाँच में केंद्र व्यतिक्रम पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

---

[21] स्वायत्त निकायों में ग्रुप 'ए' के समकक्ष संबंधित एफ़ए के माध्यम से सचिव (व्यय), एमओएफ़ की मंजूरी से सृजित किए जा सकते हैं।

[22] वैज्ञानिक विभाग ग्रुप 'बी', 'सी' एवं 'डी' पदों के संबंध में प्रचालन स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं जबकि ग्रुप 'ए' पदों के मामले में वे डीओपीटी/एमओएफ़ के दिशानिर्देशों के विषयाधीन हैं।

i. वैज्ञानिकों को प्रारंभिक नियुक्ति/पदोन्नति के समय 'वैज्ञानिक' के बदले 'एसोसिएट प्रोफेसर' के पद दिए गए थें। एसोसिएट प्रोफेसर का पद केवल यूजीसी वेतनमानों में लागू था, जो आर.आर.आई. द्वारा अंगीकृत तथा लागू नहीं थें।

ii. तीन वैज्ञानिकों को ₹ 10,000-325-15,200 के पूर्व-संशोधित वेतनमान में नियुक्त किया गया था। हमलोगों ने पाया कि उन वैज्ञानिकों को प्रारंभिक नियुक्ति के समय दो अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान किए थें तथा उनका वेतन ₹ 10,650 पर निर्धारित किया गया था, जो कि उचित नही था क्योंकि केंद्रीय सरकार को वेतन संरचना में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था।

iii. एक वैज्ञानिक के मामलें में, प्रारंभिक वेतन ₹ 7,600 जीपी के साथ ₹ 32,320 निर्धारित किया गया था, जो ₹ 7,600 जीपी के साथ ₹ 15,600-39,100 के अपेक्षित न्यूनतम समय वेतनमान से कहीं ज्यादा था।

iv. एक वैज्ञानिक को पाँच वर्षों की लागू रेसिडेंसी अवधि के पूर्ण होने के पहले ही पदोन्नति दी जा चुकी थी।

आर.आर.आई. ने कहा (अप्रैल 2015) कि इसने अपने कर्मचारियों के लिए कोई पृथक भर्ती तथा पदोन्नति नियमावली नहीं बनाया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आरआरआई को सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन संरचना का पालन करने की आवश्यकता है।

3.5.3 गैर-अकादमिक संवर्ग में पदोन्नति संबंधी नीति का अनियमित अंगीकरण

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बैंगलुरु (आई.आई.ए.) को एफ़सीएस की पदोन्नति संबंधी अंगीकरण नीति का पालन करना आवश्यक था जैसा कि इसके वैज्ञानिक कर्मचारियों के लिए डीएसटी/डीओपीटी द्वारा शुरू किया गया था। हमलोगों ने पाया कि आईआईए द्वारा तैयार की गई पदोन्नति संबंधी नीति केंद्र सरकार कर्मचारियों पर लागू आदेशों के अनुरूप नहीं था एवं उसके पास डीएसटी/डीओपीटी व एमओएफ़ की यथा अपेक्षित मंजूरी नहीं थी। लेखापरीक्षा जाँच में आगे पता चला कि आईआईएफ़ ने इसके अपने पदोन्नति संबंधी नीति का पालन नहीं किया था, जैसा कि विवरण तालिका 3 में दिया गया है।

तालिका 3: आईआईए द्वारा पदोन्नति संबंधी नीति में प्रावधानों का उल्लंघन

आईआईए की पदोन्नति संबंध नीति में प्रावधान	आईआईए द्वारा पदोन्नति संबंधी नीति का उल्लंघन
उन कर्मचारियों के मामलों, जिन्हें पदोन्नति नहीं दी गई थी, को समान्यत: 2 वर्षों के बाद पुनर्मूल्यांकन के लिए उठाया जाना था।	दो मामलों में, दो वर्षों के पूरा होने के पहले पुनर्मूल्यांकन तथा पदोन्नति पाए गए थे।
पदोन्नति के मामलों के मूल्यांकन के लिए गठित की गई समीक्षा समिति की सिफ़ारिशों की जाँच अन्य वरिष्ठ समितियों द्वारा की जानी थी।	21 मामलों में, कर्मचारियों को पदोन्नति शासी परिषद/वरिष्ठ समिति की जाँच के बिना प्रदान की गई थी।
पदोन्नति भूतलक्षी प्रभाव के साथ नहीं दिया जा सकता था।	31 पदोन्नति भूतलक्षी प्रभाव के साथ दी गई थी जिसके परिणाम स्वरूप 2009 तथा 2014 के बीच ₹ 18 लाख का अनियमित लाभ दिया गया।
निदेशक को पदोन्नति के लिए मूल्यांकन समिति की सिफ़ारिशों की समीक्षा करने तथा सुझाव देने के लिए नॉरमलाइजिंग समिति का गठन करना था।	संस्थान ने मूल्यांकन समिति से अधिक तथा उसके ऊपर के अधिकारों को मिलाकर मूल्यांकन समितियों की सिफ़ारिशों की समीक्षा करने के लिए नॉरमलाइजिंग समिति के अधिकार निर्धारित नहीं किए थें।
निदेशक द्वारा गठित समीक्षा समिति को गोपनीय प्रतिवेदनों, कार्य प्रतिवेदनों की जाँच करनी थी तथा जाँच समिति द्वारा चयनित कर्मचारी सदस्यों के कार्य तथा प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए वैयक्तिक साक्षात्कार संचालित करनी थी।	समिति ने कार्य प्रतिवेदन प्राप्त किए बिना तथा साक्षात्कार संचालिए किए बिना पदोन्नति के लिए उस कर्मचारी की सिफ़ारिश की।

3.5.4. फ्लेक्सिबल कॉमप्लिमेंटिंग स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति की अनियमित स्वीकृति

डी.ओ.पी.टी. ने वैज्ञानिकों के लिए एफसीएस की शुरुआत (नवम्बर 1998) की, जिसमें वैज्ञानिकों को पदोन्नति उस उद्देश्य, जिसकी पूर्ति कम-से-कम एक साल में होगी, के लिए गठित मूल्यांकन बोर्डों द्वारा प्रदान की जा सकती थी। डी.ओ.पी.टी. ने स्पष्ट (जुलाई 2002) कर दिया कि एफसीएस के मामलों में पदोन्नति भूतलक्षी प्रभाव के साथ नहीं दी जा सकती है तथा यह कहकर उसे आगे दोहराया (सितम्बर 2012) कि भूतलक्षी तिथि से बिना सामयिक मूल्यांकन, जैसा कि एफसीएस के दिशा-निर्देशों में निर्धारित है, पदोन्नति का लाभ देना कड़े मूल्यांकन पर एफसीएस निर्देशों भावना को कमजोर करेगा तथा इस तरह के अन्य स्कीमों में वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान करने के सदृश होगा।

हमारी जांच में पता चला कि 74 वैज्ञानिको को डीओपीटी के निर्देशों के उल्लंघन कर भूतलक्षी प्रभाव के साथ श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नॉलॉजी, तिरुवनन्तपुरम (एससीटीआईएमएसटी) में जीसी की मंजूरी के आधार पर एफसीएस के अन्तर्गत पदोन्नति प्रदान करने के फलस्वरूप इन कर्मचारियों को वर्ष 2009 तथा 2014 के बीच ₹ 8.70 करोड़ की राशि का अस्वीकार्य भुगतान करना पड़ा।

3.5.5 पेंशन का अनियमित संशोधन

आई.ए.सी.एस. की वित्त समिति ने एक निर्णय (जून 2009) लिया कि वे प्रोफेसर, जो ₹ 14300-22460 के वेतनमान पर थे (पाँचवे वेतन आयोग), 1 जनवरी 2006 के पहले सेवानिवृत्त हुए थें तथा ₹ 18400 से ज्यादा मूल वेतन ले रहे थे, उन्हें वरिष्ठ प्रोफेसर ₹ 18400-22400 (पाँचवे वेतन आयोग) के वेतनमान पर रखा जाएगा तथा वे जो ₹ 18400 से कम मूल वेतन ले रहे थे, उन्हे प्रोफेसर ₹ 16400-20,000 (पाँचवें वेतन आयोग) के पद पर रखा जाएगा।

हमने पाया कि उच्च वेतनमान में पेंशन का संशोधन डी.ओ.पी. एण्ड पी.डबल्यू के नियमों (फरवरी 2009) का उल्लंघन था जो बताता है पेंशन केवल वेतनमान जीपी के जोड़ से वेतन के संदर्भ में संशोधित होनी चाहिए, उस पूर्व संशोधित वेतनमान में जिसमें पेंशन की सेवानिवृति हुई है। इसीलिए, सेवानिवृति के पश्चात पद को अपग्रेड का लाभ 2006 के पूर्व के पेंशनर की नही देय होगा।

आई.ए.सी.एस. ने (अप्रैल 2015) स्वीकार किया कि वे व्यक्ति जिनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन वरिष्ठ प्रोफेसर में संशोधित कर दिया था, उन्होने उस वेतनमान में कभी कार्य नहीं किया था।

3.6 कर्मचारियों की पात्रता

यात्रा भत्ता,[23] अवकाश यात्रा रियायत[24] गृह निर्माण अग्रिम[25] अवकाश की स्वीकृति[26] तथा अन्य ऋण व अग्रिम[27] की जाँच की गई। इन क्षेत्रों में हमारी टिप्पणियां आगे पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

---

[23] जी.एफ.आर. - 48 (भाग ।।), ए.आर. भाग ।। के साथ पठित

[24] जी.एफ.आर. - 52 (भाग ।।), एल.टी.सी. नियम के साथ पठित

[25] जी.एफ.आर. - 86 (भाग ।।), एच.बी.ए. नियम

[26] एफ.आर. 54 से 104, एस.आर. भाग ।।। के साथ पठित

[27] जी.एफ.आर. 2012 भाग ।।

3.6.1 अकादमिक कर्मचारियों को भत्ते की स्वीकृति पर अनियमित व्यय

हमने एससीटीआईएमएसटी के अकादमिक कर्मचारियों को प्रदत्त भत्ते की मंजूरी में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई:

(ए) एससीटीआईएमएसटी ने अप्रैल 1999 से इसके अकादमिक कर्मचारियों को ₹ 2,500 प्रति माह की दर से क्लीनिकल रिसर्च भत्ता (सी.आर.ए.) तथा सभी वर्ग ए अधिकारियों को ₹ 250 प्रति माह की दर से अकादमिक भत्ते की मंजूरी प्रदान की। संस्थान के जीबी द्वारा सीआरए की राशि को अप्रैल 2011 से ₹ 10,000 प्रति माह तक संशोधित कर दिया गया। वर्ष 2009-14 के दौरान, एससीटीआईएमएसटी ने इसके कर्मचारियों को सीआरए तथा अकादमिक भत्ते पर ₹ 4.63 करोड़ की राशि का भुगतान किया।

हमने पाया कि केन्द्र सरकार नियमावली में ऐसा कोई भत्ता प्रचलित नहीं था। एमओएफ तथा प्रशासनिक मंत्रालय की मंजूरी के बिना कर्मचारियों को ₹ 4.63 करोड़ के भत्ते का भुगतान अनियमित था।

(बी) एससीटीआईएमएसटी के जी.बी. ने (मई 2002) पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा अन्य संसाधन सामग्रियों सामानों जैसे फ्लॉपी, सीडी, वीडियों, फिल्म, ट्रांसपेरेंसीज, स्लाइड्स तैयार करने के लिए कलर फिल्म्स की खरीद, स्लाइड्स को विकसित करने तथा आरोहण प्रभार इत्यादि, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ₹ 20,000 की अधिकतम राशि के अधीन संस्थान के अकादमिक कर्मचारियों के लिए लर्निंग रिसोर्स भत्ता (एलआरए) शुरू करने का निर्णय लिया। ऐसा ही एक भत्ता एआईआईएमएस में दिया जा रहा था जिसे एमओएचएफडब्ल्यू द्वारा, यह निर्देश देते हुए (जुलाई 2004) कि एलआरए को तत्काल बन्द किया जाना चाहिए तथा उसके स्थान पर संकाय सदस्यों (faculty members)/वर्ग ए अधिकारियों को उनके कार्य से संबंधित पुस्तकों/पत्रिकाओं की खरीद के लिए पुस्तकालय प्रशासन के माँग पत्र भेजने की अनुमति दी जा सकती थी, अस्वीकार कर दिया गया था। एआईआईएमएस ने, फिर भी, इसके संकायों/वर्ग ए अधिकारियों को एलआरए का भुगतान करना जारी रखा। एआईआईएमएस द्वारा एलआरए के भुगतान पर बिचार करते हुए, एससीटीआईएमएसटी ने एलआरए की दर संकाय सदस्यों को (अप्रैल 2011) ₹ 20,000 से ₹ 60,000 प्रतिवर्ष तथा सभी समूह ए अधिकारियों को ₹ 10,000 से ₹ 30,000 प्रतिवर्ष तक बढा दिया।

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि 2009-14 के दौरान एससीटीआईएमएसटी ने अपने संकायों/वर्ग ए अधिकारियों को एलआरए की और ₹ 2.23 करोड़ की राशि का भुगतान किया। सरकार की मंजूरी के बिना एलआरए का भुगतान अनधिकृत था।

डी.एस.टी. ने (मई 2016) उपरलिखित अनियमितताओं पर सुधारात्मक कारवाई हेतु सहमति जताई।

3.6.2 अपात्र कर्मचारियों को हॉस्पिटल पेशेंट केयर भत्ते की मंजूरी

एमओएचएफडब्ल्यू ने ₹ 700 प्रति माह की दर से अस्पतालों में कार्यरत वर्ग सी तथा डी (गैर-मंत्रालयी) कर्मचारियों जिनके दैनिक कार्यों में संक्रामक रोगों से संक्रमित रोगियों के साथ लगातार तथा नियमित सम्पर्क अथवा वे जिन्हें उनके प्राथमिक कार्य के रूप में, संक्रमित सामाग्रियों, औजारों तथा उपकरण, जो संक्रमण फैला सकते थें, को नियमित रूप से संभालना पडता था, शामिल थे, को अस्पताल रोगी सेवा भत्ता (एचपीसीए) प्रदान करना शुरू किया किया था। एमओएफ ने आगे स्पष्ट किया कि एचपीसीए उन वर्गों के कर्मचारियों, जिनका संक्रमित सामाग्रियों से अरक्षितता अथवा रोगियों के साथ सम्पर्क असामयिक प्रकृति का था, को नहीं दिया जाना चाहिए।

एस.सी.टी.आई.एम.एस.टी. 253 बिस्तरों का अस्पताल है तथा हृदय, वक्ष एवं तंत्रिका संबंधी बिमारियों के लिए तृतीयक रेफरल केन्द्र है। एस.सी.टी.आई.एम.एस.टी. ने इसके सभी समूह सी व डी कर्मचारियों को एच.पी.सी.ए. दे दिया। लेखा परीक्षा जांच से पता चला कि 2009-14 (2012-13 को छोड़कर) के दौरान एस.सी.टी.आई.एम्.एस.टी. ने इसके कर्मचारियों को बिना डी.एस.टी. तथा एम.ओ.एफ. के अनुमोदन की प्राप्ति के ₹ 1.53 करोड़ के एचपीसीए का भुगतान किया।

डी.एस.टी. तथा एम.ओ.एफ. की अनुमति बिना कर्मचारियों को एच.पी.सी.ए. दिया जाना अनियमित था।

3.6.3 वैज्ञानिकों को अस्वीकार्य भत्ते

एआरसीआई के जीसी ने स्पेशल वेतन तथा इसके वैज्ञानिकों को अद्यतन भत्ते प्रदान करने के लिए एमओएफ की मंजूरी प्राप्त करने हेतु डीएसटी से अनुरोध (मार्च 2003) किया। यद्यपि एआरसीआई ने अपने वैज्ञानिक कर्मचारियों को 2007-14 की अवधि के लिए एमओएफ से अपेक्षित मंजूरी प्राप्त किए बिना ₹ 32.23 लाख की राशि का अद्यतन भत्ते के रूप में भुगतान किया।

ए.आर.सी.आई. ने कहा (2015) कि भत्ते की स्वीकृति जीसी द्वारा मंजूर की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय निहितार्थ वाले प्रस्ताव में एम.ओ.एफ. की पूर्व मंजूरी आवश्यक थी तथा जी.सी. ने भी एम.ओ.एफ. की मंजूरी की अनुशंसा की थी।

3.6.4. कर्मचारियों को भत्ते को अतिरिक्त भुगतान

वर्तमान आदेशों के अनुसार, गृह किराया भत्ता (एचआरए) क्रमश एक्स, वाई एवं जेड के वर्गों में शहर के वर्गीकरण के अनुसार मूल वेतन का 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत क्रमशः की दर पर दिया जाना चाहिए था। अन्य अवर्गीकृत शहर 'जेड' वर्ग के रूप में समझे जाने थें। इसी प्रकार, यात्रा भत्ता (टीए) शहरों के वर्गीकरण के अनुसार स्वीकार्य था।

हमने पाया कि 2009-14 के दौरान आईआईए ने हॉस्कॉट (एक अवर्गीकृत शहर) में तैनात इसके कर्मचारियों के सम्बन्ध में एचआरए तथा टीए बैंगलोर शहर (वर्ग एक्स) पर लागू दर पर भुगतान किया। उच्च दर पर एचआरए तथा टीए का भुगतान अनियमित था एवं संस्थान ने ऐसे भुगतान पर ₹ 74.35 लाख का अतिरिक्त व्यय किया।

3.6.5 त्यौहार अग्रिम का अस्वीकार्य भुगतान

जीएफआर के प्रावधानों में अनुबंधित था कि अराजपत्रित कर्मचारी, जिनका जीपी ₹ 4,800 से ज्यादा नहीं है, वे अक्टूबर 2008 से ₹ 3000 की राशि त्यौहार अग्रिम का निकास करने के पात्र हैं। त्यौहार अग्रिम की दर को जनवरी 2011 से ₹ 3,750 तक तथा जनवरी 2014 से ₹ 4,500 तक बढ़ा दिया गया था।

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि 2009 तथा 2015 के बीच बीआई ने राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों दोनों को त्यौहार अग्रिम का भुगतान किया। जिसके परिणामस्वरूप अपात्र कर्मचारियों को ₹ 1.31 करोड़ के त्यौहार अग्रिम का अनियमित विस्तारण हुआ।

डी.एस.टी. ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया (मई 2016)।

3.6.6 कर्मचारियों को अनियमित अवकाश लाभ

सरकारी नियमावली के अनुसार, विश्राम कालीन अवकाश केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में शिक्षकों को उनकी कुशलता तथा उच्च शिक्षा पद्धति एवं विश्वविद्यालय की उपयोगिता वृद्धि करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए अध्ययन अथवा अनुसंधान या अन्य अकादमिक खोज करने के लिए स्वीकार्य था। अवकाश की अवधि एक बार में एक साल तथा कर्मचारी के पूरे कार्यकाल में दो साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमने पाया कि एसएनबीएनसीबीएस ने चार वर्षों के विश्राम काल अवकाश की मंजूरी के लिए इसके बाई-लॉज में एक प्रावधान सम्मिलित किया। इसके अलावा, इसने एक वैज्ञानिक को पाँच वर्षों से ज्यादा के लिए उक्त अवकाश प्रदान किया एवं इस

तरह, ज्यादा अवधि के लिए अवकाश प्रदान किया। इस कारण उस वैज्ञानिक की ₹ 36.13 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया था।

3.7 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति

3.7.1 सेवानिवृत्ति से संबंधित नियम एवं विनियम

चयनित 17 स्वायत्त निकायों में से, तीन स्वायत्त निकायों (आईएनएसए, आईआईजी एवं एआरआई) के बनाए हुए नियम व विनियम वर्तमान सरकारी नियमों के अनुरुप थे। शेष 14 स्वायत्त निकायों ने अपने नियमवाली बनाए थें परंतु ये नियम वर्तमान सरकारी विनियमों से भिन्न थे। फिर भी, डी.एस.टी. तथा एम.ओ.एफ़. की ली गई मंजूरी, जैसा कि निर्धारित था, अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। नियमों के व्यतिक्रम की विस्तृत स्थिति ***परिशिष्ट X*** में दी गई है।

3.7.2 सेवा विस्तार की अनियमित मंजूरी

डी.ओ.पी.टी. (जुलाई 2006) ने स्वायत्त निकायों के लिए निर्देश जारी किया कि स्वायत्त निकायों के मुख्य कर्मचारियों के कार्यकाल में विस्तार की स्वीकृति के लिए प्राधिकार एसीसी में निहित होगा। मुख्य कार्यकारियों के अलावा ₹ 18,400-22,400 एवं उससे ज्यादा के वेतनमान वाले व्यक्तियों के कार्यकाल में बढ़ोतरी पर विचार जांच-सह-चयन समिति (एसएससी) द्वारा किया जाना था तथा उनकी सिफारिशें मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की जानी थी। किसी व्यतिक्रम में एसीसी की मंजूरी आवश्यक होगी। निम्नलिखित तीन स्वायत्त निकायों के डीओपीटी के निर्देशों का उल्लंघन किया जैसा कि तालिका 4 में दर्शाया गया है।

तालिका 4: सेवाओं के अनियमित विस्तार के कारण अस्वीकार्य भुगतान

स्वायत्त निकाय	विवरण	वेतनमान	सेवानिवृत्ति का महीना	तक विस्तारित	अनियमित विस्तार का कारण	अनियमित भुगतान ₹ करोड़ में
एसएनबीए नसीबीएस	वैज्ञानिक कर्मचारी	37,400-67,000 के साथ जीपी 10,000	अप्रैल 2006	मई 2010	एसएससी के माध्यम से नहीं	0.37
एसएनबीए नसीबीएस	मुख्य कार्यकारी	80,000 निर्धारित	फरवरी 2012	सितंबर 2014	एसीसी द्वारा मंजूरी प्राप्त फरवरी 2014 से ज्यादा नहीं लिया गया	0.11
आईएएस	कार्यकारी सचिव	37,400-67,000 के साथ जीपी 8,900	नवंबर 2013	अप्रैल 2016	एसीसी के मंजूरी के बिना	0.23

स्वायत्त निकाय	विवरण	वेतनमान	सेवानिवृत्ति का महीना	तक विस्तारित	अनियमित विस्तार का कारण	अनियमित भुगतान ₹ करोड़ में
आईआईए	इंजीनियरजी	37,400-67,000 के साथ जीपी 10,000	जुलाई 2009	जुलाई 2011	एसएससी/ एसीसी की मंजूरी रहित	2.70
	वरिष्ठ प्रोफेसर	37,400-67,000 के साथ जीपी 10,000	जून 2014	जून 2016		
			जनवरी 2009	जनवरी 2011		
			मई 2009	मई 2011		
			दिसंबर 2010	दिसंबर 2014		
	प्रोफेसर	37,400-67,000 के साथ जीपी 8,900	मई 2010	मई 2012		
	निदेशक	67,000-79,000	जून 2010	जून 2012		
कुल						**3.41**

सरकारी आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप अकादमिक कर्मचारियों की सेवाओं विस्तार पर ₹ 3.41 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान हुआ।

टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए डीएसटी ने कहा (मई 2016) कि केवल रिक्त पड़े हुए पदों में सेवा विस्तार की मंजूरी प्रदान की गई तथा सेवा विस्तार प्रदान किए गए सभी व्यक्तियों ने परिणाम दिए थे। तथ्य शेष रहा कि जीओआई निर्देशों के व्यतिक्रम के मामलों में वित्त मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी।

3.8 सेवाओं की आउटसोर्सिंग

3.8.1 परामर्शियों की पारिश्रमिक

डी.ओ.पी.टी. आदेश ने (अप्रैल 2009) बताया की सलाहकारो की नियुक्ति के सभी मामलों में एकसरता लाने के लिए, जीएफआर में दिए गए प्रावधान लागू होंगे।

एस.एन.बी.एन.सी.बी.एस. में 2010-2014 के दौरान 47 व्यक्तियों की ठेकेदार नियुक्ति की तथा एकमुश्त मासिक पारिश्रमिक, तीन प्रतिशत के वार्षिक वेतन वृदधि, डीए, एचआरए जैसा नियमित कर्मचारियों पर लागू था, का भुगतान किया गया। स्थायी मासिक पारिश्रमिक के अलावा उन्हे अन्य लाभ अंतिम वेतन निकास आधारित 30

दिनो के अवकाश भुगतान तथा चिकित्सा भुगतान भी देय थे। संविदात्मक कर्मचारियों को पारिश्रमिक भुगतान तथा अन्य लाभ जीएफआर के प्रावधानो का उल्लंघन था।

3.8.2 स्वीकृत क्षमता से अधिक संविदात्मक कर्मचारियों की नियुक्ति

मार्च 2006 तक आईएसीएस के पास ₹ 12,000-16,500 के वेतनमान में कुलसचिव का एक स्वीकृत पद तथा ₹ 10,000-15,200 के वेतनमान में उप-कुलसचिव का एक स्वीकृत पद था। अक्टूबर 2007 में आईएसीएस ने ₹ 14,300-18,300 के वेतनमान में कुलसचिव के रूप में एक परामर्शी की नियुक्ति की, जबकि आईएसीएस में उस वेतनमान में कुलसचिव का कोई स्वीकृत पद नहीं था। उस पदाधिकारी ने अगस्त 2009 में आईएसीएस से त्यागपत्र दे दिया। आईएसीएस ने अक्टूबर 2007 से अगस्त 2009 की अवधि के दौरान ₹ 15.24 की राशि का भुगतान किया, जो अनियमित था।

3.9 निष्कर्ष

चयनित स्वायत्त निकायों की प्रशासनिक कार्यप्रणाली लागू नियमों व प्रावधानों के अनुसार नहीं थी। पदों की सृजनता, नियुक्ति, वैज्ञानिकों की पदोन्नति नियम, स्टॉफ पात्रता, सेवानिवृत मामलों तथा सेवाओं की आउटसोर्सिंग में नियमों व प्रावधानों का उल्लंघन था।

3.10 अनुशंसा

1. डी.एस.टी. यह सुनिश्चत करे कि स्वायत्त निकाय पदों के सृजन, नियुक्ति, पदोन्नति, सेवानिवृति, स्टॉफ पात्रता तथा अन्य प्रशासनिक मामलों में, उस स्वायत्त निकायों की जी.बी./काउंसिल के शक्ति के निर्दिष्ट बॉयलॉज को उचित धारा समाहित हो।

2. डी.एस.टी. यह सुनिश्चित करे कि स्वायत्त निकाय, जो विश्वविद्यालय के रूप में मान्य है, यूजीसी के वेतन संरचना के सम्बन्ध में मार्गनिर्देशों का पालन करें।